**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 55/2011**

**अपीलार्थी/अनावेदक** : सचिन कुमार सिंह

**बनाम**

**अनावेदकगण** : अखिलेश कुमार सोनी एवं अन्य

**निर्णय**

निर्णय उद्घोषित किए जाने हेतु दिनांक 08-05-2012 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सही/-**

**एन.के. अग्रवाल**

**न्यायाधीश**

**<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>**

**<u>सिविल पुनरीक्षण क्रमांक: 55/2011</u>**

**<u>आवेदक/अनावेदक</u> :** सचिन कुमार सिंह, आत्मज श्री जे.पी. सिंह, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

**<u>बनाम</u>**

**<u>अनावेदक/आवेदक-अभ्यर्थी</u> :** 1. अखिलेश कुमार सोनी, आत्मज जीवन लाल सोनी, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी- जैजैपुर, तहसील- जैजैपुर, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

**<u>अनावेदक क्रमांक-2/</u>** नगर **अनावेदक क्रमांक-2** : 2. अतिरिक्त तहसीलदार, बाराद्वार, विहित प्राधिकारी, पंचायत जैजैपुर (छ.ग.)

**<u>अनावेदक क्रमांक-3/</u>** **अनावेदक क्रमांक-3** : 3. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- कलेक्टर, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

**<u>अनावेदक क्रमांक-4/</u>** **अनावेदक क्रमांक-4** : 4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत जैजैपुर, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 26(2) छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961सहपठित नियम 19, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (निर्वाचन याचिका) नियम, 1962</u>**

---

**एकल पीठ: माननीय श्री न्यायाधीश एन.के. अग्रवाल**

---

**उपस्थिति :-**

- **आवेदक की ओर से :** श्री प्रदीप सक्सेना एवं सुश्री पंखुड़ी सक्सेना, अधिवक्तागण।
- **अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से :** श्री संजय के. अग्रवाल एवं श्री एच.एस. पटेल, अधिवक्तागण।

- **राज्य की ओर से:** श्री जी.डी. वासवानी, शासकीय अधिवक्ता।

---

**आदेश**

**(दिनांक 08-05-2012 को उद्घोषित)**

(1) छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (संक्षेप में '1961 का अधिनियम') की धारा 26(2) सहपठित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (निर्वाचन याचिका) नियम, 1962 (संक्षेप में '1962 के निर्वाचन याचिका नियम') के नियम 19 के अंतर्गत प्रस्तुत इस पुनरीक्षण में, अपर जिला न्यायाधीश, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) द्वारा विविध व्यवहार वाद क्रमांक 02/2010 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2011 की वैधता और औचित्य को चुनौती दी गई है।

(2) अनावेदक क्रमांक 1 ने नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पद पर आवेदक के निर्वाचन को चुनौती देते हुए, 1961 के अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत एक निर्वाचन याचिका प्रस्तुत किया। उक्त निर्वाचन याचिका सीधे अपर जिला न्यायाधीश, सक्ती के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी।

(3) अपर जिला न्यायाधीश, सक्ती ने आवेदक के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया और अनावेदक क्रमांक 1, अखिलेश कुमार सोनी को नगर पंचायत, जैजैपुर के उपाध्यक्ष पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किया।

(4) मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

(5) इस पुनरीक्षण में उद्भूत होने वाला संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या अनावेदक क्रमांक 1, आवेदक के विरुद्ध 1961 के अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निर्वाचन याचिका, जिला न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा के समक्ष प्रस्तुत करने के बजाय, अपर जिला न्यायाधीश, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के समक्ष सीधे प्रस्तुत कर सकता था?

(6) 1961 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) यह प्रावधान करती है कि "इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन या नामनिर्देशन को, इस धारा के उपबंधों के अनुसार अर्जी प्रस्तुत करके ही प्रश्नगत अन्यथा नहीं। धारा 20 की उप-धारा (2) यह प्रावधान करती है कि एक निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जा सकती है —

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(क) ऐसे निर्वाचन या नामनिर्देशन में किसी अभ्यर्थी द्वारा या;

(ख) (i) पार्षद के निर्वाचन के निर्वाचन की दशा में, संबंधित वार्ड के किसी भी मतदाता द्वारा;

(ii) पार्षद के नामनिर्देशन की दशा में, किसी पार्षद द्वारा;

(iii) अध्यक्ष के निर्वाचन की दशा में, किसी पार्षद द्वारा;;

उप-धारा (2) आगे यह प्रावधान करती है कि निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाएगी— उस दशा में जबकि ऐसा निर्वाचन या नामनिर्देशन राजस्व जिले में, जिसमें जिला न्यायाधीश का न्यायालय स्थित है जिला न्यायाधीश को, और, किसी अन्य दशा में, उस अपर जिला न्यायाधीश को, जिसके न्यायालय का स्थायी स्थान न्यायालय उस राजस्व जिले में, जिसमें ऐसा निर्वाचन या नामनिर्देशन किया गया है, स्थित है प्रस्तुत की सकती है और यदि उक्त राजस्व जिले में एक से अधिक ऐसे अपर जिला न्यायाधीश है, तो उनमें से उस अपर जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की सकती जिसे जिला न्यायाधीश इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करें (इसमें इसके पश्चात ऐसे जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश को 'न्यायाधीश' के के नाम से निर्दिष्ट है)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 20 की उप-धारा (3) के अनुसार, निर्वाचन याचिका उस तिथि से **30** दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिस तिथि को ऐसे निर्वाचन या नामनिर्देशन का परिणाम राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो; और निर्वाचन याचिका के साथ एक सरकारी खजाने की रसीद संलग्न होनी चाहिए, जो नगरपालिका परिषदों के लिए निर्वाचन या नामनिर्देशन के प्रकरण में दो सौ रुपये और नगर पंचायतों के लिए निर्वाचन या नामनिर्देशन के प्रकरण में एक सौ रुपये का निक्षेप किए जाने को दर्शाती हो।

(7) निर्विवाद रूप से, नगर पंचायत, जैजैपुर का निर्वाचन राजस्व जिला जांजगीर-चांपा में सम्पन्न हुआ था। जिला न्यायाधीश का न्यायालय और सक्ती स्थित अपर जिला न्यायाधीश का स्थायी न्यायालय, दोनों ही जांजगीर-चांपा के राजस्व जिले के भीतर स्थित हैं।

(8) 1961 के अधिनियम की धारा 20 (1), स्पष्ट शब्दों में, यह प्रावधान करती है कि इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन या नामनिर्देशन को उस धारा के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत याचिका के अतिरिक्त किसी अन्य रीति से चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः, यदि याचिका 1961 के अधिनियम की धारा 20 के अनुसार प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो वह खारिज किए जाने योग्य है।

(9) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने, '***बाबूलाल बनाम दत्तात्रेय एवं अन्य, 1971 एम.पी.एल.जे. 765'*** के प्रकरण में, की कण्डिका-7 में निम्नानुसार मत व्यक्त किया है:

> "...... यदि मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 20 के उपबंधों पर इस पृष्ठभूमि में विचार किया जाए, तो यह स्पष्ट होगा कि निर्वाचन याचिका जिला न्यायाधीश या उनके द्वारा प्रत्यायोजित व्यक्ति द्वारा ग्रहण की जानी चाहिए। धारा 20 के अंतर्गत उस प्रावधान में इसे और अधिक स्पष्ट किया गया है जो जिला न्यायाधीश को इस प्रयोजन के लिए किसी भी अपर जिला न्यायाधीश को नामित करने हेतु अधिकृत करता है, यदि उसी राजस्व जिले में एक से अधिक अपर जिला न्यायाधीश हों। इस दृष्टिकोण से, यह निष्कर्ष निकलेगा कि धारा 20 यह परिकल्पना करती है कि निर्वाचन याचिका जिला न्यायाधीश द्वारा ग्रहण की जाएगी, और यदि मामला किसी अन्य राजस्व जिले से संबंधित है, तो इसे जिला न्यायाधीश द्वारा प्रत्यायोजित व्यक्ति या नामित व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाएगा..."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने ***'श्रीमती रजनी साहू बनाम श्रीमती अस्मा एवं अन्य, 2011 (1) एम.पी.एच.टी. 287'*** के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ निर्वाचन उस राजस्व जिले के भीतर संपन्न किया गया था, जिसमें जिला न्यायाधीश का न्यायालय स्थित है, वहाँ निर्वाचन याचिका अनिवार्य रूप से केवल जिला न्यायाधीश को ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि जिला न्यायाधीश का न्यायालय उस राजस्व जिले में स्थित नहीं है जिसमें निर्वाचन संपन्न किया गया था, तो निर्वाचन याचिका उस अपर जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जा सकती है जिसका स्थायी न्यायालय उस राजस्व जिले के भीतर स्थित हो जहाँ ऐसा निर्वाचन संपन्न किया गया था।

(11) इस विशिष्ट प्रकरण में, निर्वाचन राजस्व जिला जांजगीर-चांपा के भीतर संपन्न किया गया था। अतः, सुसंगत प्रावधान का प्रथम भाग लागू होगा और इसी कारण से, निर्वाचन याचिका जिला न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, न कि अपर जिला न्यायाधीश, सक्ती के समक्ष।

(12) मेरी राय में, 1961 के अधिनियम की धारा 20 (1) का प्रावधान आज्ञापक प्रकृति का है, और इसलिए, अनावेदक क्रमांक 1 सक्ती में निर्वाचन याचिका प्रस्तुत नहीं कर सकता था।

(13) अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल ने दृढ़तापूर्वक यह तर्क दिया कि आवेदक ने अपर जिला न्यायाधीश, सक्ती के समक्ष क्षेत्राधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया था; अपर जिला न्यायाधीश को भी निर्वाचन याचिका सुनने और विनिश्चय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था, क्योंकि अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय उसी राजस्व जिला जांजगीर-चांपा के भीतर स्थित है जिसमें निर्वाचन सम्पन्न हुआ था। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 21(1) के अनुसार, वाद प्रस्तुत करने के स्थान के संबंध में कोई भी आपत्ति किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसी आपत्ति प्रथम दृष्टया न्यायालय में जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर और उन सभी मामलों में जहाँ विवाद्यक स्थरीकरण किए जाते हैं, ऐसे स्थरीकरण पर या उससे पहले न उठाई गई हो, और जब तक कि इसके परिणामस्वरूप **न्याय की** विफलता न हुई हो। श्री अग्रवाल के अनुसार, व्य.प्र.स. की धारा 21(1) आज्ञापक प्रकृति की है और पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष नया बिंदु उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, और इसलिए, पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) वर्तमान प्रकरण में, संविधि द्वारा जिला न्यायाधीश को क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। 1961 के अधिनियम की धारा 20(1) निर्वाचन याचिकाकर्ता को इस धारा के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने का अधिदेश देती है, जिसका, जैसा कि स्वीकार किया गया है, पालन नहीं किया गया है। इसके विपरीत, धारा 20 की उप-धारा (3) परिसीमा का प्रावधान करती है, जिसके अनुसार, याचिका केवल उस तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है जिस दिन ऐसे निर्वाचन या नामनिर्देशन का परिणाम राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इसलिए, गलत मंच के समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करना, भले ही उसे निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती न दी गई हो, 1961 के अधिनियम की धारा 20(1) के प्रयोजन हेतु क्षेत्राधिकार की त्रुटि को दूर नहीं करेगा।

(15) उच्चतम न्यायालय ने '***हर्षद चिमन लाल मोदी बनाम डी.एल.एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड एवं अन्य, ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 4446***' के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि, जहाँ किसी न्यायालय को संविधि, चार्टर या कमीशन द्वारा अधिरोपित किसी परिसीमा के कारण वाद की विषय-वस्तु पर क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, तो वह उस वाद या प्रकरण को ग्रहण नहीं कर सकता है, और बिना क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा पारित आदेश अकृत होता है; तथा अपने निर्णय के कण्डिका- 28 एवं 29 में निम्नानुसार अवधारित किया है :-

"28. हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं: (i) प्रादेशिक या स्थानीय क्षेत्राधिकार; (ii) आर्थिक क्षेत्राधिकार; और (iii) विषय-वस्तु पर क्षेत्राधिकार। जहाँ तक प्रादेशिक और आर्थिक क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, ऐसे क्षेत्राधिकार पर आपत्ति जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर और किसी भी स्थिति में विवाद्यकों के स्थरीकरण पर या उससे पहले उठाई जानी चाहिए। इस बिंदु पर विधि सुस्थापित है कि यदि ऐसी आपत्ति प्रारंभिक स्तर पर नहीं उठाई जाती है, तो उसे बाद के चरण में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यद्यपि, विषय-वस्तु से संबंधित क्षेत्राधिकार पूरी तरह से भिन्न है और एक अलग आधार पर स्थित है। जहाँ किसी न्यायालय को संविधि, चार्टर या कमीशन द्वारा अधिरोपित किसी परिसीमा के कारण वाद की विषय-वस्तु पर क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, वह उस वाद या प्रकरण को ग्रहण नहीं कर सकता। बिना क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा पारित आदेश अकृत होता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"29. हेल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ इंग्लैंड, (चतुर्थ संस्करण), पुनर्मुद्रण, खंड 10; कण्डिका-317 में यह उल्लेख किया गया है:

**317. सहमति और अधित्यजन :** जहाँ किसी संविधि, चार्टर या कमीशन द्वारा अधिरोपित किसी परिसीमा के कारण, न्यायालय के पास किसी विशिष्ट दावे या प्रकरण को ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, वहाँ पक्षकारों की न तो मौन सहमति और न ही अभिव्यक्त सहमति न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान कर सकती है; और न ही सहमति किसी न्यायालय को तब क्षेत्राधिकार दे सकती है जब क्षेत्राधिकार से संबंधित किसी अनिवार्य शर्त का पालन या पूर्ति न की गई हो। जहाँ न्यायालय को दावे की विशिष्ट विषय-वस्तु या विशिष्ट पक्षकारों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त है और एकमात्र आपत्ति केवल यह है कि प्रकरण की परिस्थितियों में, क्या न्यायालय को क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए, तो पक्षकार अपने विशिष्ट प्रकरण में क्षेत्राधिकार देने के लिए सहमत हो सकते हैं; या कोई प्रतिवादी बिना किसी विरोध के उपस्थित होकर, या कार्यवाही में कदम उठाकर, कार्यवाही का संज्ञान लेने वाले न्यायालय पर आपत्ति करने के

अपने अधिकार का अधित्यजन कर सकता है। यद्यपि, कोई भी उपस्थिति या उत्तर किसी सीमित न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं कर सकता है, और न ही कोई निजी व्यक्ति किसी न्यायाधीश पर किसी प्रकरण में निर्णय देने का क्षेत्राधिकार या कर्तव्य थोप सकता है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सीमित करने वाले किसी संविधि में ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जो पक्षकारों को सहमति द्वारा क्षेत्राधिकार का विस्तार करने में सक्षम बनाते हों।

(16) उपरोक्त के आलोक में, मेरी सुविचारित राय में, अपर जिला न्यायाधीश, सक्ती के समक्ष दायर की गई निर्वाचन याचिका पोषणीय नहीं थी, और इसलिए, यह खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि इसे सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(17) पूर्वोक्त कारणों से, विविध व्यवहार वाद क्रमांक 02/2010 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 18.03.2011 को अपास्त किया जाता है। अतः, यह पुनरीक्षण सफल होता है और इसे स्वीकार किया जाता है।

(18) व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सही/-**
**एन. के. अग्रवाल**
**न्यायाधीश**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated by : Ashwani Shukla, Advocate**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur